एकलपीठ अवमानना याचिका संख्या- 312/2005

अन्तर्गत

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-1281/2003

**2.11.2006**

## माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री महेश चन्द गुप्ता, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री श्याम आर्य, राजकीय अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस्

---

श्री रणजीत सिंह, कमाण्डेंट चतुर्थ बटालियन(RCA), जयपुर(प्रतिपी/कन्टेमनर सं.2) आज व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित हैं। विद्वान राजकीय अधिवक्ता श्री आर्य ने मेरा ध्यान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका की ओर आकर्षित किया जिसमें प्रार्थी स्वयं ने कास्टेबल सं. 754 के रूप में 7.7.1970 से 30.4.1982 तक कार्य करना कथित किया है । ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी ने स्वयं ही 12 वर्ष से कम सेवा करना अपनी रिट याचिका में अंकित किया है, इस अवमानना याचिका में यह अवधारित करने का कोई आधार नहीं है कि प्रार्थी ने 14 वर्ष तक कार्य किया है। ऐसी स्थिति में मैं संतुष्ट हूं कि इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसकी समग्रता से पालना प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस् द्वारा कर दी गई है।

परिणामत: यह अवमानना याचिका निरस्त की जाती है। प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस् को जारी अवमानना के नोटिस उन्मोचित किए जात हैं।

**(न्या. शिव कुमार शर्मा)**